UPBS120005682020

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 475/2020

श्रीमती सुमन सिंह बनाम लालचन्द आदि

30.09.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 33 क[2] पर सुना–

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 33 क[2] प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि वादिनी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी सं० 1105 क्षक्ष/0–1–10 के बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा दाखिल किया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हो चुका है। मुकदमा हाजा की जानकारी होते हुए भी प्रतिवादी सं० 1 लालचन्द्र विवादित भूमि आराजी सं० 1105 क्षक्ष/0.413 हे० में से रकबा 0.0044268 हे० नाप 14 फिट चौड़ा एवं 34 फिट लम्बा कुल 476 वर्ग फिट, जो वादिनी की भूमि है, का बैनामा दिनांक 27.10.2020 को प्रतिवादी सं० 2 चन्द्र भान से लिखाया जाना बताता है, जिसकी नकल प्रार्थिनी ने दिनांक 04.08.2022 को प्राप्त किया, तो सारे तथ्यों की जानकारी हुई। इस कारण वादपत्र में संशोधन करके कथित दस्तावेज बैनामा दिनांकित 27.10.2020 को मंसूख कराने हेतु उपचार मांगा जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 33 क[2] दस्तावेज बैनामा दिनांकित 27.10.2020 के निरस्तीकरण का उपचार याचित करने तथा तत्सम्बन्धी संशोधन वादपत्र में किए जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किए जाने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई नया केस संस्थित होगा, बल्कि वाद के न्याय निर्णयन में सहूलियत होगी। अतः प्रार्थनापत्र 33 क[2] न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 33 क[2] स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन एवं पैरवी अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते एकपक्षीय साक्ष्य दिनांक 17.11.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।